

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 151/2018

GCMS No. 2018/00236

उर्मिला देवी पत्नी कालूराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष निवासी लगरिया की तन्
चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.....वादिया

ब-ना-म

1. महिपाल पुत्र नोरंग उम्र 37 वर्ष जाति मेघवाल निवासी लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
2. उदमी पुत्र नोरंग उम्र 35 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
3. वर्षा पुत्री नोरंग पत्नी मदनलाल निवासी लगरिया की ढाणी तन् चिरानी हाल आबाद ग्राम जिलो तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
4. धर्मेन्द्र पुत्र सागर उम्र 25 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
5. ममता पुत्री सागर उम्र 23 वर्ष
6. अनीता पुत्री सागर उम्र 21 वर्ष
7. रामस्वरूप पुत्र जुगलाल उम्र 23 वर्ष
8. बाबूलाल पुत्र जुगलाल उम्र 26 वर्ष
9. मुकेश पुत्र जुगलाल उम्र 23 वर्ष
जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
10. सुनिता पुत्री जगलाल पत्नी महेश कुमार जाति मेघवाल निवासी लगरिया की ढाणी तन् चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल इण्डाली तहसील चिड़ावा
11. हरिराम पुत्र मनभर उम्र 55 वर्ष
12. परसाराम पुत्र मनभर उम्र 53 वर्ष
13. जयसिंह पुत्र मनभर उम्र 50 वर्ष
14. कैलाश पुत्र मनभर उम्र 45 वर्ष
15. विश्वंभर पुत्र मनभर उम्र 40 वर्ष
16. लाडो पत्नी मनभर उम्र 70 वर्ष
जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी।
17. सुमन पुत्री सम्पत उम्र 26 वर्ष पत्नी मुकेश
18. ओमा पुत्री सम्पत पत्नी धर्मवीर उम्र 24 वर्ष



(Signature)

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

19. मन्जू पुत्री सम्पत पत्नी कर्मचन्द
जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी हाल आबाद पुहानिया तहसील
बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
20. पूनम पुत्री सम्पत उम्र 20 वर्ष
21. सोनू पुत्री सम्पत उम्र 18 वर्ष
22. सन्तरा पत्नी सम्पत
23. राकेश पुत्र महावीर उम्र 26 वर्ष
24. इन्द्राज पुत्र नानचा उम्र 55 वर्ष
25. टेकचन्द पुत्र नानचा उम्र 52 वर्ष
26. सुरेश पुत्र नानचा उम्र 50 वर्ष
27. सुक्ति पत्नी नानचा
28. राधेश्याम पुत्र बन्शी
29. लेखराज पुत्र बन्शी
30. पिदमण पुत्र बन्शी
जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी।
31. किरसना पुत्री बन्शी पत्नी रामजीलाल जाति मेघवाल उम्र 42 वर्ष निवासी ढाणी
लगरिया तन् चिरानी हाल दयालका तहसील नीमकाथाना, सीकर।
32. कविता पुत्री बन्शी पत्नी अनिल जाति मेघवाल उम्र 35 वर्ष निवासी लगरिया की
ढाणी तन् चिरानी हाल जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
33. रोताश पुत्र भोलाराम
34. प्रकाश पुत्र भोलाराम
35. सुभाष पुत्र भोलाराम
37. सुमेर पुत्र भोलाराम
38. विश्वम्भर पुत्र भोलाराम
39. बुजी पत्नी भोलाराम
40. गणपत पुत्र अमीचन्द (मृतक)
- 40/1 मोहनी पत्नी स्व. गणपत उम्र 55 वर्ष
- 40/2 विजेन्द्र पुत्र स्व. गणपत उम्र 25 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन्
चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
- 40/3 दीनापुत्री स्व. गणपत उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये माता मोहनी जाति मेघवाल
निवासी ढाणी लगरिया तन् चिरानी तह0 खेतड़ी
- 40/4 रितु पुत्री स्व. गणपत पत्नी ओमप्रकाश उर्फ ओमी जाति मेघवाल निवासी ढाणी
लगरिया तन् चिरानी तहसील खेतड़ी हाल आबाद ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना जिला
झुन्झुनूं राज0
- 40/5 शिमला पुत्री गणपत पत्नी विजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया तन्
चिरानी हाल आबाद लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
- 40/6 बिमला पुत्री गणपत पत्नी प्रदीप जाति मेघवाल निवासी ढाणी लगरिया हाल
आबाद चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
41. राजस्थान सरकार जरिये भूमि धारक तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

दावा- खाता विभाजन

-: निर्णय :-

दिनांक 09-12-2022

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22-08-2022 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम लगरियावाला तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता संख्या 23 खसरा नंबर 711, 1000/603 कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 है। में वादिया का 0.11 है। दर हिस्सा 1/6 का अलग से खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांक: भू.अ./2022/4149 दिनांक 30.09.2022 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादिया विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता वादिया ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-7" व "ब") का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-7" व "ब") के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-7" व "ब") के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-"अ-1 लगा. अ-7" व "ब") इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श-"ब" के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09-12-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रसीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

उर्मिला देवी

ब-ना-म

महिपाल आदि

वा बाबत खाता विभाजन

क्रमा नम्बर :- 151/2018


निर्णय दिनांक :- 09-12-2022

वादिया की ओर से श्री मानसिंह मान एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से
उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09-12-2022 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के
ए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

“अतः वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 30-09-2022 (प्रदर्श-“अ-1
गा. अ-7” व “ब”) के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक
-09-2022 (प्रदर्श-“अ-1 लगा. अ-7” व “ब”) इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग
में।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09-12-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
गई।



(जय सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी